न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 21/2020, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र धर्मोल्या उम्र 75 वर्ष जाति मीना निवासी ग्राम खेडी रामला तहसील सिकराय जिला दौसा।

प्रार्थी

बनाम

1. बद्री पुत्र धर्मोल्या फौत
1/1 रामविलासी पत्नि बद्री
1/2 भगवानसहाय पुत्र बद्री
1/3 भीमसिंह पुत्र बद्री
1/4 रामकेश पुत्र बद्री

} समस्त जाति मीना निवासी ग्राम खेडी रामला तहसील सिकराय जिला दौसा।

1/5 इन्द्रा बाई पुत्री स्व. बद्री पत्नि रामेश्वर उर्फ भोड्या जाति मीना निवासी गगवाना तहसील महवा जिला दौसा।

1/6 सरस्वती पुत्री स्व. बद्री पत्नि लखनलाल जाति मीना निवासी ग्राम पाटना की ढाणी नादौती जिला करौली।

1/7 मटकेश पुत्री स्व. बद्री पत्नि भरतलाल जाति मीना निवासी ग्राम नौरंगवाडा तहसील महवा जिला दौसा।

2. श्री रणजीत सिंह गोदारा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी सिकराय
पीठसीन अधिकारी रणजीतसिंह गोदारा प्रकरण उनवानी
रामस्वरूप बनाम बद्री आदि दावा मु. नं. 46/12

उपस्थिति : श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
: श्री पदम सिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1/1 लगा. 1/7 उप.

:– निर्णय :– दिनांक 22.01.2021

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि एक दावा मुकदमा नं. 46/12 प्रकरण उनवानी रामस्वरूप बनाम बद्री आदि बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थी वादी द्वारा अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के समक्ष विचाराधीन है। उपरोक्त उनवानी वाद पत्र में प्रार्थी का प्राईमाफेसी केस सिद्ध मानकर अन्तरिम निषेधाज्ञा फरमाई गई है। प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय पीठासीन अधिकारी सिकराय से न्याय की कतई उम्मीद नहीं रही है। प्रार्थी द्वारा उक्त उनवानी प्रकरण को उपजिला कलक्टर सिकराय के न्यायालय से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रस्तुत किया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रकरण संख्या 21/2020, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण</u>

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया गया कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में अन्तरिम निषेधाज्ञा फरमाई गई है। उक्त प्रकरण में तारीख पेशी 11.09.2020 नियत थी जिस पर आगामी पेशी 27.09.2020 नियत फरमाई गई जिसका अंकन अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका में स्पष्ट रूप से किया हुआ है किन्तु इसके बावजूद भी आदेशिका में कांट छांट करते हुए तारीख पेशी 27.09.2020 को काटकर तारीख पेशी 28.09.2020 अंकित कर दी गई एवं इसके बाद 14.10.2020 की आदेशिका में वाद स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया गया एवं प्रतिवादी के मृतक होने की सूचना प्राप्त होने पर विधिक वारिसान की जांच कर तकास्मा के आदेश दिये जाकर पत्रावली दिनांक 17.11.2020 को नियत की गई है। दिनांक 14.10.2020 की आदेशिका लिखने के पश्चात् उसे काट दिया गया और दुबारा 14.10.2020 को ही दूसरी आदेशिका पर पत्रावली पेश हुई अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 21.10.2020 को पेश हो आदेशिका अंकित की गई और प्रकरण में आगामी पेशी दिनांक 17.11.2020 नियत कर दी गई। जबकि प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.10.2020 को कायम मुकामान का प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था जिसका अंकन भी आदेशिका में नहीं किया गया जबकि प्रतिवादी बद्री के वारिसान भगवानसहाय, रामकेश के नाम से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमे दिनांक 18.10.2020 को ही बद्री के फौत होने की सूचना दे दी गई। प्रार्थना पत्र की नकल आज दिनांक तक प्रार्थी को नहीं दी गई है। जिससे प्रथम दृष्टया साबित है कि पीठासीन अधिकारी से विपक्षीगण ने नाजायज रूप से सांठगांठ कर रखी है तथा पीठासीन अधिकारी भी उक्त प्रकरण को खारिज करने को आतुर है। अप्रार्थीगण गांव में लोगो से ऐलानिया कह रहा है कि उसने पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोदारा से पटरी बैठा ली है तथा वे उक्त प्रकरण का फैसला उसके हक में करेंगे। इसके अलावा बार एसोसिएशन सिकराय ने दिनांक 12.10.2020 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के विरूद्ध उनके न्यायालय का कार्य बहिष्कार कर रखा है जो निरन्तर जारी है। ऐसी सूरत में उक्त प्रकरण उपजिला कलक्टर सिकराय के न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। अतः उनवानी प्रकरण रामस्वरूप बनाम बद्री दावा मु. नं. 46/12 को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित फरमाने की कृपा करे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1/1 लगा. 1/7 द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रकरण को देरीना करने के उद्देश्य से उपखण्ड अधिकारी सिकराय व प्रत्युत्तर दाता के खिलाफ झूंठे लांछन लगाकर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर आर्डरशीट एवं तारीख पेशी बदलने का जो आरोप लगाया गया है बेबुनियाद और मनगढंत है। पीठासीन अधिकरी ने अपनी टिप्पणी में प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नही होना व्यक्त किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय ने अपनी टिप्पणी में उक्त पत्रावली का स्थानान्तरण किसी अन्य सक्षम न्यायालय में किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय के न्यायालय में विचाराधीन दावा मु. सं. 46/12 उनवानी रामस्वरूप बनाम बद्री आदि उपखण्ड अधिकारी महवा के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को निर्देशित किया जाता है कि मु. सं. 46/12 उनवानी रामस्वरूप बनाम बद्री आदि से सम्बन्धित मूल पत्रावली दिनांक 15.02.2021 से पूर्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा को भिजवावे। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकरी महवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 22.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा